तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान सरकार बनाम	नंबर व ता... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी हु...

मुकदमा नं0 ....2016/315.... निर्णय दि0 ....12.11.20

साहिन / मृतहीन के अधिकार स्वतः ही खातेदार हो जाते हैं। अतः मृतहीन की हैसियत से वादीगण का नाम दर्ज होना आना विधि विरुद्ध है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 6 → प्रतिवादी सं. 1 विवादित आराजी का खातेदार दर्ज है तथा मौके पर काबिज है। कब्जे के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है — प्रतिवादी

प्रतिवादी अधिवक्ता ने अनुरुद्ध रखा कि प्रति सं. 1 विवादित आराजी का खातेदार दर्ज है तथा मृतहीन अथवा विपरीत कब्जे के वादीगण के दावे परस्पर विरोधी है। मृतहीन के आधार पर वादीगण को खातेदारी घोषणा की अधिकारिता विधिक प्रावधानों के अनुसार प्राप्त नहीं है। विपरीत कब्जे के आधार पर की खातेदारी घोषणा की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः तनकी सं. 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 7 → आया विवादित आराजी मीणा जाति के काश्तकार की खातेदारी है जिस पर गैर ST के व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते — प्रतिवादी

प्रतिवादी अधिवक्ता ने धारा 42 RTA के प्रावधानों का हवाला देते हुये कथन किया कि ST की भूमि गैर ST के व्यक्ति में हस्तान्तरित अथवा खातेदारी नहीं दी जा सकती है। प्रतिवादी का तर्क विधिक प्रावधानों के अनुरूप है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

लगातार...

12.11.20

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Singh Godara
Date: 2021.01.06 14:04:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner